

प्रशासन गौरी नगर, जिला 2020

रिपोर्ट पटवारी संख्या / आ.30एच03अएच
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जास की गई। इसके अनुसार श्री. गोविन्द सिंह एवं श्री. गणेश के द्वारा
 स.16 के प्रार्थी की माताजी का नाम गोविन्द सिंह एवं श्री. गणेश के माताजी
 के दस्तावेजों के अन्तर्गत नाम गोविन्द सिंह एवं श्री. गणेश के नाम के अन्तर्गत
 के नाम गोविन्द सिंह किया जा रहा है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुडगाँवडी, जिला मुंडवुं (राज.)
 दिनांक - 23/11/21

क्रमांक : राजरव/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को पत्रित कर निर्णय हे कि आवेदन पत्र में वर्णित नाम अशुद्ध
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक को मूल दस्तावेजों में नाम की अनिश्चय की जा रही है / की
 की जाती है।

उक्त नाम जाना अशुद्ध है।
 तहसीलदार (मु.अ.)
 उदयपुरवाटी / गुडगाँवडी

1533
 15/11/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन महापक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला मुंडवुं (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :- 23/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (मु.अ.)
 उदयपुरवाटी/गुडगाँवडी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत में
 निर्मांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मु.अ.) उदयपुरवाटी / गुडगाँवडी का राजस्व
 रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01.	पौखें	2075-78	16	गोविन्द कवर पति नारायण सिंह	गोविन्द कवर पति नारायण सिंह

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की
 पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजरव/2020/1215-1216
 प्रतिलिपि :-

दिनांक - 23/11/21

1. तहसीलदार (मु.अ.) उदयपुरवाटी / गुडगाँवडी को वास्तु पालनाार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया पुष्पी सिंह एवं नारायण सिंह राजस्व को सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी